महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या-23/2025/433/12-5-2025/1862321/12-5/39/2023

प्रेषक,

रविन्द्र,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, कृषि / राजस्व / गन्ना / उद्यान / पंचायती राज / ग्राम्य विकास / आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मडण्लायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2025**

विषय- एग्रीस्टैक (डिजीटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री को पूर्ण करने के सम्बन्ध में विशेष अभियान को 30 अप्रैल, 2025 तक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-43/2024/648/12-5099/2023 कृषि अनुभाग-5 दिनांक 12 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-8 में 01 जुलाई, 2024 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री तैयार किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। इसके उपरांत शासनादेश संख्या-61/2024/1337/12-5-2024/1803641/12-5/39/2023 दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष अभियान दिनांक 18 नवम्बर से 31 दिसम्बर, 2024 तक एवं शासनादेश संख्या-209/12-5-2025/1862321 दिनांक 10 फरवरी, 2025 द्वारा विशेष अभियान की समयसीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि अद्यतन प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में इस अभियान के अन्तर्गत अब तक 44.6 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है जिसे शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है। अतः एग्रीस्टैक (डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के सम्बन्ध में विशेष अभियान की समयसीमा 30 अप्रैल, 2025 तक विशेषकर कैम्प मोड में कार्य करने हेतु बढ़ायी जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निर्धारित समयसीमा में एग्रीस्टैक (डिजीटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अन्तर्गत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2024 एवं शासनादेश दिनांक 12 जून, 2024 द्वारा फार्मर रजिस्ट्री योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया के विषय में निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
टी0 के शिबु
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।